<u>प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 65/2022)</u>

तत्काल प्रकाशन के लिए

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

'मसौदा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022' पर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए समय का विस्तार

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर 2022- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने हितधारकों की टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों के लिए 9 सितंबर 2022 को 'मसौदा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (चौथा संशोधन) विनियम 2022' जारी किया था। हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2022 और 21 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई थी।

2. हितधारकों ने 'मसौदा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022' पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। इसे ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हो, 18 नवंबर, 2022 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। विस्तार के लिए आगे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां ईमेल : -advbcs-2@trai.gov.in तथा jtadv-bcs@trai.gov.in पर अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष संख्या: +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह./-

(वी रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा